न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 01/2007 G.C.M.S. No. 2007/00002 दर्ज दिनांक : 03.12.2007

अपीलार्थिगण:

1. छगना पुत्र मोहनाजी जाति पुरोहित निवासी वासड़ा, तहसील रेवदर, जिला सिरोही।
2. मूला पुत्र मोहनाजी जाति पुरोहित निवासी वासड़ा, तहसील रेवदर, जिला सिरोही।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर
2. वला पुत्र जीया उर्फ जवाजी जाति पुरोहित, निवासी वासड़ा, तहसील रेवदर, जिला सिरोही।
3. जोन पुत्र जीया उर्फ जवाजी जाति पुरोहित, निवासी वासड़ा, तहसील रेवदर, जिला सिरोही।
4. जयन्ति पुत्र जीया उर्फ जवाजी जाति पुरोहित, निवासी वासड़ा, तहसील रेवदर, जिला सिरोही।
5. गेरी बेवा पत्नि जीया उर्फ जवाजी जाति पुरोहित, निवासी वासड़ा, तहसील रेवदर, जिला सिरोही।
6. मगना पुत्र मनरूपजी जाति पुरोहित, निवासी वासड़ा, तहसील रेवदर, जिला सिरोही।
7. चेला पुत्र मनरूपजी जाति पुरोहित, निवासी वासड़ा, तहसील रेवदर, जिला सिरोही।
8. गणा पुत्र मनरूपजी जाति पुरोहित, निवासी वासड़ा, तहसील रेवदर, जिला सिरोही।
9. सोहना पुत्र धर्माजी के कायम मुकाम :–
   - 9/1 श्रीमती लवगो बेवा पत्नि सोहना जाति पुरोहित, निवासी वासड़ा, तहसील रेवदर, जिला सिरोही।
   - 9/2 शीवा पुत्र सोहना जाति पुरोहित, निवासी वासड़ा, तहसील रेवदर, जिला सिरोही।
   - 9/3 मीरा पुत्र सोहना जाति पुरोहित, निवासी वासड़ा, तहसील रेवदर, जिला सिरोही।
   - 9/4 राधा पुत्री सोहनाजी धर्मपत्नी रतनाजी जाति पुरोहित निवासी रामपुरा तहसील धानेरा।

<u>आवेदन अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 47 नियम 1 सीपीसी वास्ते पुनः विचार निर्णय व डिक्री क्रमांक/12/सिरोही/2002 दिनांक 08.08.2007</u>

उपस्थित–

1. श्री एस.डी. सुराणा, श्री दिनेश राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री हंसराज पुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स संख्या 2 की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोंडेंट संख्या 1।
4. शेष रेस्पोंडेंट्स अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 31.12.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह आवेदन अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 47 नियम 1 सीपीसी वास्ते पुनः विचार निर्णय व डिक्री क्रमांक/12/सिरोही/2002 दिनांक 08.08.2007 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि माननीय न्यायालय ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील व वाद के तथ्यों व तर्कों को स्वीकार करते हुए बेचान दिनांक 29.03.1968 एवं दिनांक 29.07.1977 को विधिविरूद्ध माना है एवं उनके आधार पर भरे हुए नामांतरकरण संख्या 56 व 170 को भी विधिविरूद्ध माना है। राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी में इन दोनों नामांतरकरण संख्या व विक्रय–विलेख के आधार पर प्रार्थीगण व उनके भाई गणा को खसरा संख्या 188 मी रकबा 13 बीघा–01 बिस्वा में प्रार्थीगण व उसके भाई को 2/3 हिस्से का खातेदार कृषक दर्शाया गया है व सोहना को 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक दर्शाया गया है। इसके साथ ही संवत 2039 से 2042 की जमाबंदी में सोहना पुत्र धर्मा को उक्त भूमि के लिए तीसरे हिस्से का खातेदार कृषक दर्शाया गया है एवं प्रार्थीगण व उनके भाई गणा को दो तिहाई हिस्से का खातेदार कृषक दर्शाया गया है एवं जमीन का कुल रकबा 13 बीघा–01 बिस्वा दर्शाया गया। प्रार्थीगण व उनके गणा ने इस जमाबंदी के आधार पर सोहना की दर्ज एक तिहाई हिस्से की खातेदारी भूमि को अन्य भूमि के साथ दिनांक 11.11.1983 के पंजीकृत विक्रय–विलेख से खरीद की थीं व कब्जा प्राप्त किया था एवं इसी जमाबंदी में नामांतरकरण संख्या 225 से सोहना का दर्ज तीसरा हिस्सा हटाकर संपूर्ण 13 बीघा–01 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण व उनके भाई गणा के नाम खातेदारी में दर्शाया गया है। उक्त तथ्य न्यायालय के रेकर्ड पर मौजूद है एवं यह तथ्य निर्णय व डिक्री में अवलोकन करने एवं उस पर विचार करने व निर्णय करने से छूट गया है। जोकि सहज रेकर्ड के अवलोकन व जमाबंदी के अवलोकन मात्र से स्पष्ट प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा वादीगण अपीलांटान व उनके भाई गणा के तीसरे हिस्से की खरीदशुदा भूमि जो 4 बीघा–07 बिस्वा है, के संबंध में विचारण व विश्लेषण निर्णय में नहीं हो पाया है एवं निर्णय में 1 बीघा–09 बिस्वा भूमि जो सोहना के नाम रखना दर्शाया गया है उसे एवं प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट संख्या दो से सात के नाम 10 बीघा–03 बिस्वा भूमि होना

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

दर्शाया गया है, के स्थान पर 7 बीघा–5 बिस्वा भूमि दर्शाई जावें व प्रार्थीगण व उनके भाई गणा के नाम 15 बीघा–19 बिस्वा भूमि दर्शाई जाने का अंकन निर्णय में करना आवश्यक व न्यायसंगत है। जमाबंदी संवत 2039 से 2042 एवं उसमें दर्ज नामांतरकरण के आधार पर प्रार्थीगण व उनके भाई गणा के हिस्से 15 बीघा–19 बिस्वा भूमि के नाम दर्शाने का निर्देश दिया जाना न्यायसंगत है। फलस्वरूप उक्त रिव्यू आवेदन निर्णय व डिक्री में हुई भूल को सुधार कर निर्णय में संशोधन हेतु प्रस्तुत है। अतः संबंधित रेकर्ड आवेदन के साथ सम्मिलित किया जाकर बाद सुनवाई पक्षकारान प्रार्थीगण का रिव्यू आवेदन स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री में तदनुसार सुधार करने की कृपा करावें।

म्याद के बिंदु पर विनिश्चय सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया व पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.08.2007 के विरूद्ध हस्तगत रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 16.10.2007 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ विलंब के संबंध में किसी प्रकार का कथन या प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है।
2. परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के खण्ड प्रथम भाग 1 – विनिर्दिष्ट मामलों में आवेदन, क्रम संख्या 124– उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालय द्वारा निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन के लिए डिक्री या आदेश की दिनांक से 30 दिन की अवधि परिसीमाकाल के रूप में विनिर्धारित है।
3. प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र निर्णय व डिक्री दिनांक 08.08.2007 से 68 दिवस पश्चात अर्थात 38 दिन के विलंब से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा विलंब के कारणों एवं विलंबकाल माफ किये जाने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। न ही इस संबंध में कोई निवेदन किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण परिसीमाकाल के प्रति पूर्णतया उदासीन व लापरवाह है तथा हस्तगत प्रार्थना पत्र उपर्युक्त बिंदु संख्या 2 के विवेचन अनुसार परिसीमाकाल से बाधित होने से प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर काबिल खारिज है। लिहाजा, प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ भास्कर विनोदी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली